भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 431

23 जुलाई, 2019

गन्ना उत्पादक किसानों को बकाया देय राशि

431. श्री दीपक बैज:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी मिलों की ओर से गन्ना उत्पादक किसानों की विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार बकाया देय राशि कितनी है;

(ख) क्या चीनी मिलें गन्ना उत्पादक किसानों की देय बकाया राशि वर्ष-दर-वर्ष नहीं चुका रही हैं और परिणामत: बकाया देय राशि में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ग) सरकार द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को चीनी मिलों द्वारा कीमत/बकाया देय राशि का भुगतान समय से न किये जाने के दृष्टिगत क्या कदम उठाये गये हैं और इसके परिणाम क्या रहे हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

लोकसभा में 23-07-2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 431 के भाग (क) से (ग) तक के उत्तर के संदर्भ में विवरण

दिनांक 17.07.2019 की स्थिति के अनुसार वर्तमान चीनी मौसम 2018-19 और पिछले तीन चीनी मौसमों के दौरान चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य बकाए का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

चीनी मौसम 2017-18 और 2018-19 में अधिशेष चीनी उत्पादन के कारण चीनी की कम कीमतों से चीनी मिलों की नकदी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की गन्ना मूल्य बकाया राशि में बढ़ोतरी हुई।

देश में चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि वे किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में समर्थ हों, के उद्देश्य से सरकार ने चीनी मौसम 2017-18 और 2018-19 में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) दिनांक 07.06.2018 से घरेलू बाजार में कारखाने के द्वार पर बिक्री के लिए चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) 29 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया, जिससे कम मूल्य पर कोई भी चीनी मिल चीनी नहीं बेच सकती है। दिनांक 14 फरवरी, 2019 से न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) में और वृद्धि करते हुए इसे 31 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।
(ii) चीनी मौसम 2017-18 और 2018-19 में गन्ने की लागत की भरपाई करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
(iii) चीनी के 30 लाख टन के बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु रखरखाव लागत की प्रतिपूर्ति करके चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
(iv) चीनी मौसम 2018-19 में, देश से चीनी के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए आंतरिक ढुलाई, मालभाड़ा, हैंडलिंग एवं अन्य प्रभारों से संबंधित व्यय का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
(v) चीनी मिलों को बैंकों के माध्यम से सरल ऋण प्रदान किए गए जिसके लिए सरकार एक वर्ष के लिए 7% की दर से ब्याज में छूट का वहन करेगी ताकि गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान किया जा सके।

उपर्युक्त पैरा (ii) से (v) में विस्तृत रूप से बताई गई स्कीमों के अधीन, यह उल्लेख किया गया है कि चीनी मिलों की ओर से गन्ना मूल्य बकाए के भुगतान की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा करा दी जाएगी।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार गन्ना मूल्य का भुगतान आपूर्ति के 14 दिनों के भीतर किया जाना अपेक्षित है, जिसके न किए जाने पर 14 दिनों के बाद हुई देरी की अवधि की

बकाया राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय है। किसानों को गन्ना बकाया के भुगतान के संबंध में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रावधानों को लागू करने की शक्तियाँ राज्य सरकारों के पास हैं। केन्द्रीय सरकार किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान सुनिश्चित करने और चूककर्ता मिलों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर परामर्श-पत्र जारी करती है तथा बैठकों एवं वीडियो कॉनफेरेंस के माध्यम से गन्ना बकायों की स्थिति की समीक्षा भी करती है।

चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान करना एक सतत प्रक्रिया है। चीनी मौसम 2017-18 और 2018-19 में गन्ना किसानों को अखिल भारतीय आधार पर गन्ना मूल्य देय राशि क्रमशः 85179 करोड़ रुपए और 85646 करोड़ रुपए थी। ऊपर पैरा (ii) से (v) तक में उल्लिखित सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप चीनी मौसम 2017-18 और 2018-19 के दौरान किसानों को गन्ना देय राशि दिनांक 17.07.2019 की स्थिति के अनुसार घटकर क्रमशः 285 करोड़ रुपए और 15222 करोड़ रुपए हो गई है।

*****

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 23.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(करोड़ रुपए में)

वर्तमान चीनी मौसम और पिछले चीनी मौसमों में गन्ना किसानों की राज्य-वार बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण (दिनांक 17.07.2019 की स्थिति के अनुसार)						
क्र. सं.	राज्य का नाम	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16 और पूर्ववर्ती वर्ष	कुल
1	बिहार	856	12	1	39	908
2	हरियाणा	145	0	0	0	145
3	पंजाब	902	39	0	0	941
4	उत्तराखंड	339	108	0	25	472
5	उत्तर प्रदेश	9746	46	22	121	9935
6	आंध्र प्रदेश	236	6	0	1	243
7	तेलंगाना	120	0	0	0	120
8	गुजरात	896	1	17	18	932
9	महाराष्ट्र	826	62	2	171	1061
10	कर्नाटक	598	5	0	33	636
11	तमिलनाडु	348	0	394	1135	1877
12	पुदुचेरी	0	0	10	11	21
13	छत्तीसगढ़	100	2	0	0	102
14	ओडिशा	75	0	0	3	78
15	मध्य प्रदेश	31	4	6	2	43
16	गोवा	4	0	0	0	4
	समग्र भारत	15222	285	452	1559	17518

*****